

प्रेषक

अति-आवश्यक

कल्याण आयुक्त, हरियाणा,
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड,
बेज नं० 29-30, पॉकेट-II,
सेक्टर-4, पंचकूला।

सेवा में

1. सभी उप श्रम आयुक्त (कल्याण), हरियाणा राज्य में।
2. सभी श्रम कल्याण अधिकारी हरियाणा राज्य में।
3. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य में।

क्रमांक: HLWB/Scheme/2023/
दिनांक:

विषय : हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में वित्तीय सहायता राशि बढ़ाने की घोषणाओं उपरान्त बढी हुई राशि को लागू करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विश्वकर्मा जयन्ती के शुभ अवसर पर "राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस" दौरान हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं में साईकिल योजना में 3000 रु० से बढ़ाकर 5000 रु०, सिलाई मशीन योजना में 3500 रु० से बढ़ाकर 4500 रु० तथा छात्रवृत्ति योजना में निम्न संशोधन किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

पढाई जारी रखने की कक्षा	छात्र व छात्राओं के लिए
9वीं से 10वीं	10,000 रुपये
आईटीआई डिप्लोमे के प्रत्येक वर्ष के लिए	10,000 रुपये
11वीं से 12वीं	12,000 रुपये
सभी प्रकार की स्नातक डिग्रीयों तक के प्रत्येक वर्ष के लिए	15,000 रुपये
पोलीटेक्निक डिप्लोमे, सीओ, डीओ फार्मसी, एओएनएमओ, जीओएनएमओ तथा अन्य अंडरग्रेजुएट डिप्लोमा तक के प्रत्येक वर्ष के लिए	15,000 रुपये
सभी प्रकार की इंजिनियरिंग डिग्री, बीओ फार्मसी के प्रत्येक वर्ष के लिए	20,000 रुपये
सभी प्रकार की स्नातकोत्तर डिग्रीयों/ डिप्लोमे/ बीओएससी नर्सिंग के प्रत्येक वर्ष के लिए	20,000 रुपये
सभी प्रकार की मैडीकल डिग्रीयों (एमडीबीओएसओ, बीओडीओएसओ, बीओएओएमओ एसओ आदि) के प्रत्येक वर्ष के लिए	21,000 रुपये

यह संशोधन इस नोटिफिकेशन की तिथि से प्रभावित होंगे।

— 58 —
उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृते: कल्याण आयुक्त, हरियाणा

पृ० क्रमांक : 6567-75

दिनांक : 12/10/2023

उक्त की एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय श्रम मन्त्री, हरियाणा सरकार।
2. निजी सचिव, आदरणीय प्रधान सचिव, श्रम विभाग, हरियाणा सरकार।
3. निजी सचिव, आदरणीय कल्याण आयुक्त, हरियाणा।
4. लेखा अधिकारी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही के लिए है।
5. कंप्यूटर प्रोग्रामर, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड को पोर्टल पर संशोधन बारे आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. सभी शाखाएं, मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए है।

उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृते: कल्याण आयुक्त, हरियाणा